2011 का विधेयक सं. 29

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

2011 का विधेयक सं. 29

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह अधिनियम, धारा 3 से 10 के सिवाय, जो 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा 2 के खण्ड (**xiii**) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (9) के खण्ड (**vii**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 94 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के अनुरोध पर," हटायी जायेगी।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 99-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 99 के पश्चात् और विद्यमान धारा 100 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**99-क. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा.-** (1) नगरपालिकाओं के लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी न्यस्त करेगी।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।" ।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 182 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 182 की उप-धारा (3) के खण्ड (**vii**) में, अंत में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(**viii**) भूमि के किसी भी विद्यमान अनुज्ञेय उपयोग से ऐसे किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार विहित करे:"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या इसी प्रकार की संरचना को निर्मित या पुनर्निर्मित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," ।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में,-

(**i**) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी" हटायी जायेगी; और

(**ii**) विद्यमान अभिव्यक्ति "नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 333 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 333 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 के उपबंधों के अधीन मुख्य नगरपालिक अधिकारी से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। नगरपालिका सर्वोच्च निकाय है, इसलिए, नगरपालिका की सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उप-धारा (9) का खण्ड (vii) तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

तेरहवें वित्त आयोग और राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति ने यह सिफारिश की है कि नगरपालिका के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जाने चाहिएं और संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 94 के अधीन, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए, ऐसा करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर ही तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा और यहां तक कि स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षकों की संपरीक्षा रिपोर्ट भी राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए कोई उपबंध नहीं था। इसलिए, यह उपबंधित करना समुचित समझा गया कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, स्वयं, नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा और उनके लेखाओं की संपरीक्षा भी कर सकेगा। ऐसी रिपोर्टों को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने का उपबंध किया जाना भी समुचित समझा गया। तदनुसार, धारा 94 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित थी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में एक नयी धारा 99-क अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित थी।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 भूमि के उपयोग में कतिपय विनिर्दिष्ट परिवर्तनों के लिए उपबंध करती थी। यह उपबंध राज्य सरकार को, भूमि के ऐसे उपयोगों को, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये थे, अनुज्ञात करने के लिए समर्थ नहीं बनाता था। इस उपबंध से, बढते हुए नगरीकरण से होने वाली इस समय की व्यवहारिक मांगों को पूरा करने में कठिनाइयां हो रही थीं। इसे देखते हुए, राज्य सरकार को, अन्य अपेक्षित उपयोगों को विहित करने के लिए, समर्थ बनाना समुचित समझा गया। तदनुसार, धारा 182 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित थी।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194, भवनों इत्यादि का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार करने से पूर्व नगरपालिका से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए उपबंध करती है। तथापि, मोबाइल टावरों के संबंध में ऐसी अनुज्ञा के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं था। परिणामस्वरूप, मोबाइल फोन कंपनियां कोई भी अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मोबाइल टावरों का निर्माण कर रहीं थीं और इसके द्वारा लोक सुरक्षा के लिए गंभीर चिन्ता कारित कर रहीं थी। इसलिए, ऐसे टावरों के अंधाधुंध निर्माण को विनियमित करने और इससे बचने के लिए यह उपबंध करने हेतु, कि ऐसे टावरों का निर्माण करने से पहले नगरपालिका की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक होगी, धारा 194 संशोधित की जानी प्रस्तावित थी।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 332 की उप-धारा (3) यह उपबंध करती है कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, इस उप-धारा के अधीन कार्य करने के दौरान, अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन होगा। नगरपालिका सर्वोच्च निकाय है, इसलिए, नगरपालिका की सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए इस उप-धारा में अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" को अभिव्यक्ति "नगरपालिका" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 333 की उप-धारा (2) में, अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" को अभिव्यक्ति "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित था ताकि नगर परिषदों और नगरपालिक बोर्डों में समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्तों और कार्यपालक अधिकारियों को भी सशक्त बनाया जा सके।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 31 मार्च, 2011 को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश सं. 02) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुआ।

तत्पश्चात्, धारा 99-क के उपबंधों पर, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए समर्थ बनाते हैं, पुनर्विचार किया गया और तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह विनिश्चित किया गया है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी न्यस्त किया जाना चाहिए। तदनुसार, पूर्वोक्त धारा 99-क को यथोचित रूप से उपांतरित किया गया है।

यह भी समुचित समझा गया कि नगर निगमों में कार्य के बेहतर निपटारे को सुकर बनाने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (xiii) के उप-खण्ड (क) में प्रयुक्त विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त" को अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये। इसलिए, पूर्वोक्त उप-खण्ड तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 की उप-धारा (3) में एक नया खण्ड (viii) अन्त:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, ऐसे अन्य प्रयोजन, जिनके लिए भूमि का कोई विद्यमान अनुज्ञेय उपयोग संपरिवर्तित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

xx **xx** **xx** **xx**

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) से (xii) xx xx xx

(xiii) "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" से अभिप्रेत है,-

(क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त;

(ख) नगर परिषद् के मामले में आयुक्त; और

(ग) नगरपालिक बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;

(xiv) से (lxxiii) xx xx xx

xx **xx** **xx** **xx**

49. अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य.-(1) से (8) xx xx xx

(9) मुख्य नगरपालिक अधिकारी,-

(i) से (vi) xx xx xx

(vii) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।

xx **xx** **xx** **xx**

94. लेखाओं की संपरीक्षा.- (1) xx xx xx

(2) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के अनुरोध पर, नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा।

(3) से (5) xx xx xx

xx **xx** **xx** **xx**

182. भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग में परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति.- (1) से (2) xx xx

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी भूमि के स्वामी या धारक को उसके उपयोग में परिवर्तन करने के लिए, यदि लोकहित में ऐसा करने का उसका समाधान हो जाता है तो ऐसी दरों पर संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर और पड़ौसियों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, आक्षेप आमंत्रित करने और उनको सुनने के पश्चात् उपयोग में निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात्:-

(i) आवासीय से वाणिज्यिक या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए; या

(ii) वाणिज्यिक से किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए; या

(iii) औद्योगिक से वाणिज्यिक या अन्य किसी प्रयोजन के लिए; या

(iv) सिनेमा से वाणिज्यिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए; या

(v) होटल से वाणिज्यिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए; या

(vi) पर्यटन से वाणिज्यिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए; या

(vii) संस्थागत से वाणिज्यिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए;

परन्तु संपरिवर्तन प्रभार, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगे।

(4) से (6) xx xx xx

xx xx xx xx

194. समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबन्ध.- (1) किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर,-

(क) नया भवन निर्मित करने; या

(ख) भवन को पुनर्निर्मित करने या भवन में सारवान् परिवर्धन करने; या

(ग) भवन के किसी बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनर्निर्मित करने; या

(घ) किसी भी प्रकार का कुंआ या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति,

संनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में नगरपालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.- पद "सारवान् परिवर्धन" से विद्यमान सेट बेक, कवरेज, ऊँचाई, भूमि उपयोग और पार्किंग क्षेत्र, जहां कहीं भी ऐसे पार्किंग क्षेत्र विधि के अधीन आज्ञापक हों, में कोई भी परिवर्तन अभिप्रेत है,

(2) से (12) xx xx xx

xx **xx** **xx** **xx**

332. राजस्थान नगरपालिक प्रशासनिक सेवा.- (1) से (2) xx xx

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित या उसे प्रत्यायोजित कर्तव्यों के अतिरिक्त, नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक नगरपालिक प्रशासन पर निगरानी रखेगा,

(ख) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रक्रम में उसके नोटिस में लायी गयी या संपरीक्षा-रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी त्रुटि या अनियमितता को दूर करने के लिए त्वरित उपाय करेगा,

(ग) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के प्रति कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा,

(घ) निगम या परिषद् या बोर्ड द्वारा चाही गयी कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट या उसके प्रभार में का कोई अन्य दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, और

(ङ) किसी बैठक में विचाराधीन किसी मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देगा किन्तु उस पर मत नहीं डालेगा या उस पर कोई प्रतिपादन नहीं करेगा।

333. राजस्थान नगरपालिका तकनीकी सेवा.- (1) xx xx

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

xx **xx** **xx** **xx**

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

सीताराम सोनवाल,
उप सचिव।

(श्री शांति धारीवाल, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 29 of 2011

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Bill No. 29 of 2011

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2011.

(2) This Act shall come into force at once except sections 3 to 10 which shall be deemed to have come into force on and from 31st March, 2011.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009(Act No. 9 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing expression "Chief Executive Officer-cum-Commissioner" shall be substituted by expression "Chief Executive Officer and Commissioner".

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub-section (9) of section 49 of the principal Act, for the existing expression "the Chairperson", the expression "the Municipality" shall be substituted.

4. Amendment of section 94, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 94 of the principal Act, the existing expression ", on the request of the State Government" shall be deleted.

5. Insertion of new section 99-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In the principal Act, after the existing section 99 and before the existing section 100, the following new section shall be inserted, namely:-

"**99-A. Audit by Comptroller and Auditor General of India.-** (1) The accounts of the Municipalities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India in accordance with the provisions of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971(Central Act No. 56 of 1971).

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall also entrust the Comptroller and Auditor General of India with the technical guidance and supervision over the audit of the municipal accounts.

(3) The State Government shall cause the audit report under the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) along with Annual Technical Inspection report of the Comptroller and Auditor General of India on the technical guidance and supervision as referred to in sub-section (2) to be laid before the State Legislature.".

6. Amendment of section 182, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub-section (3) of section 182 of the principal Act, for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(viii) from any existing permissible use of land to any other purposes, as the State Government may prescribe:".

7. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (d) of sub-section (1) of section 194 of the principal Act, for the existing punctuation mark ",", appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(e) to erect or re-erect any tower or similar structure on a land or building,".

8. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 332 of the principal Act,-

(i) the existing expression ",Commissioner or an Executive Officer, as the case may be," shall be deleted; and

(ii) for the existing expression "Mayor or President or Chairperson of the Municipal Corporation or Municipal Council or Municipal Board, as the case may be,", the expression "Municipality" shall be substituted.

9. Amendment of section 333, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (2) of section 333 of the principal Act, for the existing expression " Chief Executive Officer", the expression "Chief Municipal Officer" shall be substituted.

10. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 02 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the provision of section 49 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the Chief Municipal Officer was required to exercise supervision and control over the subordinate staff subject to the overall superintendence and control of the Chairperson. The Municipality is the supreme body, therefore to uphold the supremacy of the Municipality, clause (vii) of sub-section 9 of Section 49 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 was proposed to be amended accordingly.

The 13th Finance Commission and the Public Accounts Committee of the Rajasthan Legislative Assembly have recommended that the accounts of the Municipalities must be audited by the Comptroller and Auditor General of India and the audit report should be placed before the State Legislature. Under section 94 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the Comptroller and Auditor General of India could provide technical guidance for proper maintenance of accounts of the Municipalities only on the request of the Government to do so and there was no provision for placing the audit report of even the auditors of Local Fund Audit before the State Legislature. Therefore, it was considered appropriate to provide that the Comptroller and Auditor General of India may provide technical guidance for proper maintenance of accounts of the municipalities and may also audit their accounts on his own. It was also considered appropriate to provide for placing such reports before the State Legislature. Accordingly section 94 was proposed to be amended suitably and a new section 99-A was proposed to be inserted in the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Section 182 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 provided for certain specific changes in land use. The provision did not enable the State Government to allow such uses of land which were not specified in that section. It was causing difficulties in meeting the practical demands of the time owing to the growing urbanization. In view of this, it was considered appropriate to enable the State Government to prescribe other required uses. Accordingly, section 182 was proposed to be amended suitably.

Section 194 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 provides for obtaining permission from the Municipality before erecting, re-erecting or enlarging buildings etc. However, there was no express provision for such permission with respect to mobile towers. Consequently, mobile phone companies were erecting mobile towers without obtaining any permission and thereby were causing grave concern for the public safety. Therefore, to regulate and avoid indiscriminate erection of such towers, section 194 was proposed to be amended to provide that prior permission of the municipality would be necessary before erecting such towers.

Sub-section (3) of section 332 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 provided that the Chief Municipal Officer shall, while acting under that sub-section, be subject to overall control of the Chairperson. The Municipality is the supreme body, therefore to uphold the supremacy of the Municipality, the expression "Chairperson" in that sub-section was proposed to be substituted by the expression "Municipality".

In sub-section (2) of section 333 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the expression "Chief Executive Officer" was proposed to be substituted by the expression "Chief Municipal Officer" so as to empower Commissioners and Executive Officers also to exercise the similar powers in Municipal Councils and Municipal Boards.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 02 of 2011), on 31st march, 2011, which was published in the Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 31st March, 2011.

Subsequently, the provisions of section 99-A, which enabled the Comptroller and Auditor General of India to carry out the audit of municipal accounts were reconsidered and as per the recommendations of the 13th Finance Commission it has been decided that the Comptroller and Auditor General of India should also be entrusted with the technical guidance and supervision over the audit of the municipal accounts. Accordingly aforesaid section 99-A has been modified suitably.

It is also considered appropriate to substitute the existing expression "Chief Executive Officer-cum-Commissioner" used in sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 by the expression "Chief Executive Officer and Commissioner" to facilitate better